मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना पत्र क्रमांक 02/02/2025 दिनांक 11.11.2025

खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer) के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025

परीक्षा के आयोजन विषयक सूचना

01 **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं :-**

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक	विज्ञापन / पद का नाम
04/2025/ 23.06.2025	खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer) के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025

02 उपरोक्त विज्ञापन हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर जारी किया गया है । आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर जारी पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा एक सत्र में ऑफलाइन पद्धति से (OMR Sheet आधारित) निम्नानुसार आयोजित की जाएगी -

प्रश्न-पत्र	परीक्षा तिथि	समय	संभागीय मुख्यालय
खण्ड 'अ' (सामान्य अध्ययन)	14.12.2025 (रविवार)	दोपहर 12:00 PM से 03:00 PM	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर
खण्ड 'ब' (खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी)			
उपरोक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 03.12.2025 से आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे।			

03 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अनुमत एवं वर्जित वस्तुएं :-

<u>अनुमत वस्तुएं :-</u> परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, पेन, स्वयं का फोटोग्राफ (यदि आवश्यक हो), पानी की पारदर्शी बॉटल एवं अन्य कोई सामग्री जो ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट है, लाने की अनुमति होगी।

<u>वर्जित वस्तुएं :-</u> अनुमत वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु परीक्षा केन्द्र में लाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग द्वारा वर्जित वस्तुएं जैसे- पेंसिल, रबर (इरेजर), व्हाइटनर, शॉर्पनर, ब्लेड, स्केल, बैग्स, मोबाइल फोन, पेनड्राइव, कैल्कुलेटर, पठन सामग्री, चाबी व एसेसरीज़ जैसे- बालों को बांधने वाले क्लचर / बक्कल, हाथ के बैंड / हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक बैंड / चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बैल्ट, डिजिटल घड़ी, स्मार्ट घड़ी, एनालॉग घड़ी, कफलिंक, धूप का चश्मा, पर्स / वॉलेट, टोपी, ब्लूटूथ, हैंडफी, आई. टी. गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य कोई ऐसे उपकरण जो संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लाइटर्स / माचिस बॉक्स, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य कोई कीमती सामान परीक्षा केन्द्र में लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों का परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा।"

04 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

उप सचिव